न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 3/2019/अपील

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. लादूराम
2. रूकमादेवी पत्नि स्व. लादूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण सुरेरा (मण्ढा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलांट्स

ब ना म

1. हरदेवाराम
2. मांगूराम } पुत्रगण रावता
3. संजय कुमार

4. भंवरलाल पुत्र लादूराम
5. ग्राम पंचायत सुरेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुरेरा पंचायत समिति दांताामगढ जिला सीकर राज0

–रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 43 दिनांक 07.02.1997 बतस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत, सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति–

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील अपीलांटस की ओर से।
2. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सें 4 की ओर सें वकील श्री रिछपाल सिंह कस्वां।

निर्णय दिनांक–24.06.2016

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरेरा प0ह0 सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 399, 400, किता 2 कुल रकबा 4.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 681 ता 686, 695 किता 7 कुल रकबा 12.62 हैक्टर अवस्थित है । उक्त भूमियां अपीलांट्स के पिता व पति स्व. लादूराम की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा रही है तथा स्व0 लादूराम के अपीलान्ट्स के अलावा एक पुत्र भंवरलाल जायन्दा संतान है रेस्पोडेन्ट्स ने

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत सुरेरा तथा पटवारी सें मिलकर उक्त अपील वर्णित भूमि का नामांतरण स्वयं के नाम व अपलान्ट के गलत नाम सें अंकन करवाकर तस्दीक करवा लिया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था। लादूराम के एक और वैद्य वारिस भंवरलाल है। भंवरलाल ने अपीलांट्स का नाम गलत अंकन करवाया है जो निरस्त होने योग्य है। लादूराम की विरासत का नामांतरण गलत भरा गया है उक्त व्यक्ति ग्राम सुरेरा में निवास नहींकरते है। अतः अपील पेश कर निवेदन किया गया कि चुनौतीग्रस्त नामांतरण सं0 43 दिनांक 07.02.1997 को खारिज फरमाकर अपील वर्णित भूमियों में अपीलान्ट्स का नाम स्व. लादूराम के वैद्य वारिस होने के कारण दर्ज करने का आदेश प्रदान करने किये जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से वकील श्री रिछपाल सिंह कस्वां उपस्थित आये। वकील रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब न पेश कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील अपीलांट /रेस्पोन्डेन्टस की सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सुरेरा द्वारा नामांतरण सं0 43 दिनांक 07.02.1997 गलत रूप सें तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त नामांतरण खारिज किया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि नामांतरण में स्व. लादूराम के वारिसान का विधिवत नामांतरण भरा गया है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने वकील अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्टस की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 43 दिनांक 07.02.1997 बतस्दीक ग्राम पंचाचत, सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में वकील अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत सुरेरा द्वारा जारी किये गये दो वारिस प्रमाण पत्र

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

पेश किये गये है। उक्त दोनों वारिस प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया। दिनांक 07.08.1996 को ग्राम पंचायत सुरेरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में स्व. लादूराम के 2 पुत्र भंवरलाल व रामेश्वर बताए गये है तथा दिनांक 05.04. 2018 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्व. लादूराम के 2 पुत्र भंवरलाल व ओमप्रकाश बताए गये है । दोनो वारिस प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया जिससें स्पष्ट है कि एक पुत्र का नाम भंवरलाल तो दोनों वारिस प्रमाण पत्रों में अंकित है लेकिन दूसरे पुत्र का नाम एक वारिस प्रमाण पत्र में रामेश्वर तथा दूसरे वारिस प्रमाण पत्र में ओमप्रकाश बताया गया जिससें स्पष्ट है कि रामेश्वर तथा ओमप्रकाश एक ही व्यक्ति के दो नाम है। तत्कालीन / नामांतरण तस्दीक किये जाने के समय ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.08.1996 को जारी किया गया वारिस प्रमाण पत्र प्रभावी था जिसमें लादूराम के वारिस भंवरलाल व रामेश्वर अंकित है तथा इसी अनुसार नामांतरण तस्दीक किया गया है अतः स्पष्ट है कि अपील वर्णित नामांतरण उचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व बाद दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner